

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(U.P. Housing and Development Board)

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

IS 15700:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCMS

पत्र0सं0- 738/वा.नि.-5/व.यो./से.-15/53

दिनांक : 11.03.2025

सूचना

शासनादेश संख्या- 2438/9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./98 दिनांक-13.10.1998 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु परिषद बैठक दिनांक- 26.12.2024 के मद संख्या 269/18 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-15 में स्थित कम्युनिटी सेंटर भूखण्ड संख्या- 15/सी.सी.-1 कार्नर (क्षेत्रफल 2992.0 वर्ग मीटर) को आवासीय भूखण्डों को नियोजित कर ले-आउट प्लान में परिवर्तन किये जाने हेतु जन-सामान्य से आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

आपत्तियां/ सुझाव सूचना के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अवधि में किसी भी कार्यदिवस में अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद वृत्त, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद को अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक)



UPHousingBoard



www.upavp.in



info@upavp.com